<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 700767 / 16

संस्थापन दिनांक : 06.12.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

<u>बनाम</u>

1—ज्ञानसिंह पुत्र दीनानाथ गुर्जर उम्र 30 साल 2—राजा गुर्जर पुत्र जगदीशसिंह गुर्जर उम्र 32 साल 3—जयवीर पुत्र सुरेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 29 साल निवासीगण ग्राम लटकनपुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक......को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 294, 341, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 327/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.11.16 को 09:45 बजे लटकनपुरा तिराहा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर भूरेसिंह अ0सा01 से उद्यापन कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।
- 2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.16 को फरियादी भूरेसिंह अ0सा01 अपनी बस कमांक एम.पी.—07—पी.1202 को लेकर एण्डोरी से ग्वालियर जा रहा था जैसे ही वह समय करीब 8:45 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड लटकनपुरा तिराहा पर आया तो लटकनुपरा निवासी आरोपी ज्ञानसिंह गुर्जर, राजा गुर्जर जयवीर गुर्जर जिन्हें वह पूर्व से जानता था, ने बस के आगे आकर बस रोक ली और बस में चढ़कर तीनों आरोपीगण ने उससे शराब

पीने के लिए पांच-पांच सौ रूपये मांगे जब उसने रूपये देने से मना किया तो तीनों आरोपीगण ने उसे अश्लील गालियां दी तथा गाली देने से मना करने पर तीनों आरोपीगण ने उसे बस से खींचकर रोड पर पटककर लात घूंसों से उसकी मारपीट की जिससे उसके शरीर में जगह-जगह मूंदी चोट आई तब ड्राइवर भानु जाटव व सवारी संजय ने उसे बचाया। तत्पश्चात फरियादी भूरेहि अ०सा०१ ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी-1 दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अप०क० 199/16 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या दिनांक 11.11.16 को 09:45 बजे लटकनपुरा तिराहा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर भूरेसिंह अ0सा01 से उद्यापन कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

5. भूरेसिंह अ०सा०1 का कथन है कि एक माह पूर्व सुबह 9 बजे बस कमांक एम.पी.—07—पी.1202 जिस पर वह कन्डक्टर है और एण्डोरी से ग्वालियर चलती है, को वह ग्वालियर लेकर जा रहा था। जब वह लटकनपुरा के पास पहुंचा तब 2—3 लड़के बस में चढ़े जो मां—बहन की गालियां देने लगे और उसकी रोड पर पटककर लात घूंसों से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट प्र0पी—1 उसने थाना मालनपुर में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घाटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी—2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 11.11.16 को आरोपीगण ज्ञानसिंह, राजा और जयवीर ने उससे पांच सौ रूपये शराब के लिए मांगे और न देने पर मारपीट की और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. अतः प्रकरण में फरियादी भूरे अ०सा०१ जोकि महत्वपूर्ण साक्षी है, ने उद्यापन के अपराध के संबंध में तथ्यों से इंकार किया है और स्वेच्छा उपहित के संबंध में उभयपक्ष के मध्य शमन हो गया है। भूरे अ०सा०१ ने उपहित की घटना भी आरोपीगण द्वारा घटित किए जाने से इंकार किया है अतः स्वयं फरियादी व आहत भूरे अ०सा०१ द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक ११.११.१६ को ०९:45 बजे लटकनपुरा तिराहा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर भूरेसिंह अ०सा०१ से उद्यापन कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट

प्रकरण कमांक : 700767 / 16 इ0फौ०

कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 327/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

ATTAINED PARENTS THAT THE PROPERTY OF THE PARENTS O

8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0